राजस्व अपील संख्या [illegible]/2023

अनवान

कालूराम बनाम राज0 राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर

दिनांक 09–06–2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उत्तर, जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20 / 2023 अनवान तहसीलदार जोधपुर बनाम कालूराम वगैराह मे पारित आदेश दिनांक 26–04–2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–04–2023 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उत्तर, जोधपुर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 26–04–2023 के क्रम मे तहसीलदार, जोधपुर, को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच करे तथा मौका नक्शा व मौका रिपोर्ट तैयार करे। तत्पश्चात नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें। यदि कदीमी रास्ता चलता हो तो कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर